


# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या ...518 / 2015 .....जिला..... जयपुर.....

उनवान - मैसर्स जगदम्बा ऑटो पार्ट्स, बस स्टेण्ड, सांगानेर, जयपुर बनाम् वा.क.अ., प्रतिकरापवंचन, जोन-द्वितीय, जयपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज ,  <b>एकलपीठ</b> <b>श्री मदन लाल, सदस्य</b>	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.04.2015	<p>अपीलार्थी द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी-तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक <u>18.03.2015</u>, जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 38(4) के तहत पारित किये गये हैं, के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं जिनमें वा.क.अ. प्रतिकरापवंचन, जोन-द्वितीय जयपुर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम की <u>धारा 25, 55, 61 व 75(8)</u> के तहत निर्धारण वर्ष <u>2014-15</u> के लिये पारित एकपक्षीय निर्धारण आदेश दिनांक <u>29.12.2015</u> में कायम मांग राशि की वसूली पर अपीलीय अधिकारी द्वारा रोक लगाने के प्रार्थना पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार करने को विवादित कर, रु.2,82,310/- की राशि पर की वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी है।</p> <p>अपीलार्थी की ओर से अभिभाषक श्री यशवर्सी शर्मा व विभाग की ओर से उप-राजकीय अभिभाषक श्री रामकरण सिंह रोक आवेदन पत्र पर <u>बहस हेतु</u> दिनांक <u>17.04.2015</u> को उपस्थित हुये। उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर रोक आवेदन पत्र पर निर्णय पारित किया जा रहा है।</p> <p>उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया एवम् दोनों अवर अधिकरियों द्वारा पारित आदेशों के अवलोकन करने के पश्चात्, हस्तगत प्रकरण में निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण अधिनियम के प्रावधानानुसार दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में किये जाने अथवा नहीं किये जाने व राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 48 के तहत सुनवायी का अवसर प्रदान किये जाने अथवा नहीं किये जाने के तथ्यात्मक एवम् महत्वपूर्ण बिन्दु अन्तर्वलित है। अतः गुणावगुण को प्रभावित किये बिना अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत रोक आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर, वसूली योग्य मांग राशि रु.2,82,310/- की वसूली पर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप, इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में <u>पर्याप्त जमानत प्रस्तुत करने की दशा</u> में, अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित <u>अपील</u> के निर्णय अथवा 3 माह, जो भी पहले हो, तक रोक लगायी जाती है एवं अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश प्राप्ति के 3 माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।</p> <p>अपील का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है।</p> <p>निर्णय प्रसारित किया गया।</p>	 (मदन लाल) सदस्य